

02/02/24

पत्रावली लेवा हुई/ वादी/ अर्जी
 दाखिल करने/ तलबी नहीं करवाई
 गई है, न तो किसी आवेदनका क्रम
 मूल वाद के कोई प्रकारानुसार प्रकाश
 हुआ है। मूल वाद तलबी अभाव में
 अदालत जामिन में खारिज हो चुका है।
 अतः पत्रावली औचिकीय लेकर
 तलबी अभाव में अंतगते 0-9-25
 एचएच अदालत जामिन एवं अदालत
 के तहत एतद्वारा खारिज की
 जाती है। अभावली फौजदारी सुमार
 होकर बाद तकमील दाखिल कएतक
 है। विषय खुले न्यायालय में
 सुनवाई जाकर दाखिले में लगाकर
 व न्यायालय मुद्रा में जारी किया
 गया।

क

उपरखण्ड अधिकारी
 सांभर लेक

